



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 321 राँची, शुक्रवार, 19 आषाढ़, 1942 (श०)
10 जुलाई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

05 जून, 2020

संख्या--5/आरोप-1-34/2019-5661 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो० असलम, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-चतरा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांडी, गढ़वा के विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृत कराये अवकाश अवधि का वेतन निकासी करने एवं सरकारी सेवक अचार नियमावली का उल्लंघन करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-191/स्था०, दिनांक 12.04.2019 द्वारा प्राप्त प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः मो० असलम के विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा मो० असलम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. मो0 असलम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।
5. मो0 असलम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु स्थापना उप समाहर्ता, गढ़वा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. ASLAM JHK/JAS/221	मो0 असलम, झा0प्र0से0 (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-चतरा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांडी, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) मो0 असलम, झा0प्र0से0 एवं श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
